

भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय

'भाषा (द्वैमासिक)' पत्रिका के निम्न विशेषांक हेतु आलेख आमंत्रित हैं।

1. 'भाषा' (मार्च-अप्रैल, 2023)

'स्वाधीन भारत में भाषा प्रौद्योगिकी का विकास' (जनपदीय भाषा और मातृभाषा पर केंद्रित)

आलेख सामान्यतः फुल स्केप आकार के दस टंकित पृष्ठों एवं 2500-3000 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए और हाशिया छोड़कर एक ओर ही टाइप किए जाने चाहिए।

'भाषा', 'वार्षिकी' एवं 'साहित्यमाला' प्रकाशनों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। अतः रचनाएँ इसी वर्तनी के अनुसार टाइप करवाकर भेजी जाएँ।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड होने के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त विषय से संबंधित आलेख वर्ड फाइल में 'भाषा' पत्रिका की मेल आइ डी. bhashaunit@gmail.com पर प्राप्त हो जाने चाहिए।

विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों के लिए निदेशालय की वेबसाइट www.chd.education.gov.in देखें।

सहायक निदेशक (भाषा)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड- 7, आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110066
दूरभाष- 011-26105211
Extn- 213 / 248